भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1072
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

पीएलसीपी का अनुपालन

1072 श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधान पूर्व परामर्श नीति (पीएलसीपी) के अनुसार विगत पांच वर्षों के दौरान पारित किए गए ऐसे विधेयकों की संख्या कितनी है जो न्यूनतम तीस दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक मंच पर रखे गए हैं ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान कितने विधेयकों को पेश किए जाने से पहले सार्वजनिक मंच पर नहीं रखा गया था ;

(ग) कितने विधेयकों को तीस दिनों से कम अवधि के लिए सार्वजनिक मंच पर रखा गया था ;

(घ) क्या सरकार पीएलसीपी को भंग करने की मंशा रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : श्रीमान, विधान-पूर्व परामर्श नीति को 10 जनवरी, 2014 को मंत्रिमंड़ल सचिव की अध्यक्षता के अधीन सचिवों की समिति द्वारा बनाया गया था और प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा उसके अधीन लिए गए विनिश्चय का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है । विधि और न्याय मंत्रालय विधान-पूर्व परामर्श नीति के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन से संबंधित कोई अभिलेख नहीं रखता है ।

भारत सरकार में संसदीय कार्यप्रणाली नियमावली के अध्याय 9 का पैरा 9.2 (क) यह उपबंध करता है कि संबंधित मंत्रालय/विभाग सभी हितबद्ध व्यक्तियों और संबद्ध प्राधिकारियों के साथ परामर्श से विधायी प्रस्तावों को तैयार करेगा, जिसमें प्रस्तावित विधान की आवश्यकता पर और उसमें समाहित सभी सारभूत मामलों पर चर्चा भी सम्मिलित है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को इस अपेक्षा का अनुपालन करना होता है ।

तथापि, पूर्व-विधान परामर्श नीति का पैरा 11 मंत्रालय/विभाग को पूर्व-विधान परामर्श नीति से दूर रहने के लिए इस आधार पर पर्याप्त छूट देता है कि ऐसा करना साध्य और वांछनीय नहीं है ।

****